ज़िंदगी के सौदागरों का शिकार

नाइजेरियन सुपर स्टार ऐनीबेली एलिबुआ का फ़रीदाबाद में देहांत

फ़रीदाबाद (म.मो.) सैंकड़ों फिल्मों, टी.वी. सीरीयल और विज्ञापन की दुनियां के चमकते सितारे ऐनीबेली ऐलिबुआ का, 5 दिसम्बर 2012 को स्थानीय एशियन होस्पिटल के सैक्टर 21 सी स्थित गेस्ट होस्टल में देहांत हो गया। अफ्रीकी राष्ट्र नाइजीरिया की जनता में एन्ड्रियूस के नाम से मशहूर 'ऐनीबेली' सिर्फ फिल्म एक्टर ही नहीं बल्कि गायन और पेंन्टिंग के साथ-साथ एक गम्भीर फ़िलोसफ़र के रूप में भी जाने जाते थे।

14 फरवरी 1946 को नाइजेरिया की डेल्टा स्टेट में जन्मे ऐनीबेली को पक्षाधात का दौरा पड़ने के बाद 30 जुलाई 2012 को लागोस से दिल्ली लाया गया, जंहा से सीधा उन्हें अपोलो हस्पताल में दाख़िल करवा दिया गया।

ऐनीबेली ऐलिबुआ का इलाज 22 सितम्बर 2012 तक अपोलो हस्पताल में यहां के न्यूरोलोजी विशेषज्ञ डॉ. पी.एन. रेंजन की देख-रेख में हुआ। लगभग 52 दिनों तक चलने वाली इस उपचार प्रक्रिया में श्री ऐनीबेली को सरिता विहार के श्याम पैलेस होटल में रखा गया। ऐनीबेली जो एक विद्वान सजग और संतुलित व्यक्ति थे, ने महसूस किया कि उन्हें दिया जाने वाला इलाज रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं कर रहा लेकिन बिलों की रकम लगातार बढ़ती चली जा रही है।

ऐनीबेली ने नाइजेरिया में अपनी डाक्टर श्रीमति ऊफूओमा ओकोटेटे को सम्पर्क कर के तफ्सील से बताया। डॉ. ऊफूओमा को यह जान कर बड़ी हैरानगी हुई कि अपोलो हस्पताल में ऐनीबेली का मुख्यतया मल्टीपल सेलोरोसिस का इलाज किया जा रहा है जो उस की बीमारी है ही नहीं। इतनी भयंकर लापरवाही की जानकारी मिलने पर नाइजेरियन डाक्टरों द्वारा मिस्टर ऐनीबेली को फ़ौरन अपोलो हस्पताल छोड़ने के लिए कहा गया। इस समय तक ऐनीबेली 8946061/- रु. हस्पताल को दे चुके थे और हस्पताल अधिकारियों के अनुसार उन्हें 573496/- रु. का भुगतान करना अभी बाकी था।

ज़िन्दगी और मौत के बीच झूलते ऐनीबेली और उसके केयर टेकर जैफरी का पासर्पोट हस्पताल प्रशासन ने अपने कब्ज़े में लेने के बाद उन्हें वहां से जाने की इजाज़त दी। पासर्पोट न होने की वजह से ऐनीबेली को कई औपचारिक्ताओं को पूरा करने में काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी। अंर्तराष्ट्रीय कानून के अनुसार पासर्पोट पर केवल पासर्पोट-धारक और फिर इश्यू करने वाले देश का अधिकार होता है। किसी अन्य द्वारा किसी का पासपोर्ट ज़बरदस्ती कब्ज़े में लेना न केवल मानवीय संवेदनाओं बल्कि अंर्तराष्ट्रीय कानून के तहत भी दण्डनीय अपराध है। अपोलो हस्पताल के नाम से धंधा कर रहे ज़िंदगी के सौदागरों ने यह दोनों पासर्पोट ऐनीबेली की मौत के बाद उस के संरक्षकों के हवाले किए।

अपोलो हस्पताल से लुटा-ठगा महसूस करने के बाद 22 सितंबर 2012 को ही, ऐनीबेली एशियन हस्पताल सैक्टर 21ए में दाख़िल हुए। यहां पर हस्पताल मैनेजमैंट ने उन्हें एक आऊटडोर पैशेन्ट का दर्जा दे कर हस्पताल में बैड देने के बजाए अपने एक 21बी स्थित होस्टेल में रखा। यहां पर इस कमरे का किराया 1000/- रु. रोज़ था। भोजन का सारा ख़र्चा भी रोगी को हस्पताल के बिल के अलावा खुद अदा करना पड़ता है।

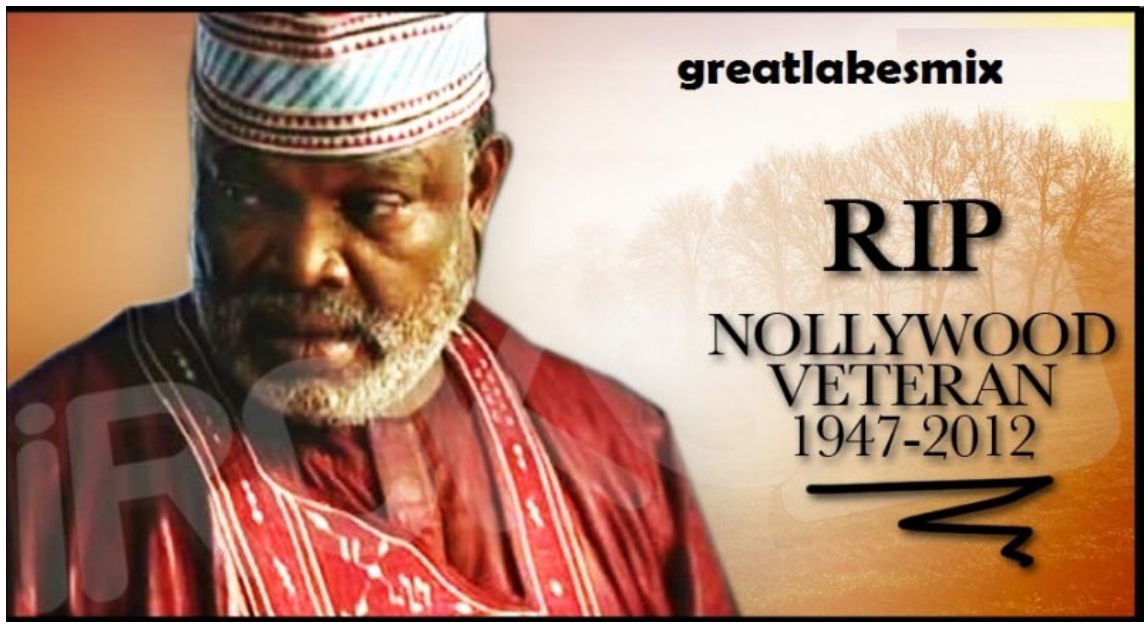

एशियन हस्पताल द्वारा सैक्टर 21बी के मकान नं. में चलाने वाले आऊट-डोर पेशेन्टस् गेस्ट हाऊस की सारी गतिविधियों के कारण शक की सुई उन के आचरण में बहुत कुछ ग़लत होने की ओर इशारा करती है। हरियाणा के एक भूतपूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यह कोठी हुड्डा के रिहायशी इलाके में है और यहां पर किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां करने पर पूरा प्रतिबंध है। इस ग़ैरकानूनी गैस्ट हाऊस में केवल विदेशी रोगियों को ही ठहराया जाता है। यहां पर ठहराये जाने वाले रोगियों या उन के सहयोगियों से बहुत बड़ी रकम किराए के तौर पर वसूली जाती है। कोठी की देख-रेख बाकायदा ऐशियन के कर्मचारी वर्दी के साथ करते हैं। एशियन द्वारा विदेशी नागरिकों से वसूली जाने वाली रकम की कोई रसीद नहीं दी जाती। किसी भी देश में विदेशी नागरिकों को रखने या रहने संबंधी बड़े कड़े और स्पष्ट नियम (कानून होते हैं) हमारी जानकारी के अनुसार यह गैस्ट हाऊस, हुड्डा, पुलिस, विदेशी नागरिक कानून, आयकर विभाग और रोगी जीवन सुरक्षा, से जुड़े कई कानूनों और नियमों की सरे-आम धज्जियां उड़ा रहा है।

अब निजि हस्पतालों की आड़ में अगर इस अंर्तराष्ट्रीय धंधे पर ज़रा विस्तार से नज़र दौड़ाई जाए तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। लगभग सभी फ़ाईवस्टार हस्पतालों ने अपने दलाल अलग-अलग मुल्कों से तय कर रखे हैं जो वहां से मरीज़ों को बहल-फुसला कर इन हस्पतालों में इलाज के लिए लाते हैं और उसकी एवज़ में हस्पताल उन्हें एक मोटी रकम कमीशन के तौर पर देता है। अस्पतालों के रिकार्ड में अधिकतर इन्हें लोकल रोगियों की श्रेणी में ही दाख़िल किया जाता है। इन से वसूल की जाने वाली रकम को वास्तविक्ता से हट कर अपने हिसाब-किताब से दर्ज किया जाता है।

इस नाइजेरियन सुपर स्टार का अगले 75 दिनों तक एशियन हस्पताल में चलने वाला इलाज भी अपनी दास्तान में कई भयंकर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है।

एशियन हस्पताल द्वारा सैक्टर 21बी के मकान नं. में चलाने वाले आऊट-डोर पेशेन्टस् गेस्ट हाऊस की सारी गतिविधियों के कारण शक की सुई उन के आचरण में बहुत कुछ ग़लत होने की ओर इशारा करती है। हरियाणा के एक भूतपूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की यह कोठी हुड्डा के रिहायशी इलाके में है और यहां पर किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां करने पर पूरा प्रतिबंध है। इस ग़ैरकानूनी गैस्ट हाऊस में केवल विदेशी रोगियों को ही ठहराया जाता है। यहां पर ठहराये जाने वाले रोगियों या उन के सहयोगियों से बहुत बड़ी रकम किराए के तौर पर वसूली जाती है। कोठी की देख-रेख बाकायदा एशियन के कर्मचारी वर्दी के साथ करते हैं।

एशियन द्वारा विदेशी नागरिकों से वसूली जाने वाली रकम की कोई रसीद नहीं दी जाती। किसी भी देश में विदेशी नागरिकों को रखने या रहने संबंधी बड़े कड़े और स्पष्ट नियम (कानून होते हैं) हमारी जानकारी के अनुसार यह गैस्ट हाऊस, हुड्डा, पुलिस, विदेशी नागरिक कानून, आयकर विभाग और रोगी जीवन सुरक्षा, से जुड़े कई कानूनों और नियमों की सरे-आम धज्जियां उड़ा रहा है।

काबिल-ए-ग़ौर बात यह भी है कि हरियाणा राज्य के फाईवस्टार हस्पताल के इस गैस्ट हाऊस में, डाक्टर तो क्या एक नर्स या प्रोफैशनल हैल्थ अटैन्डैन्ट को भी नियुक्त नहीं किया है।

ऐनीबेली ऐलिबुआ की तबीयत लगभग सुबह चार बजे खराब हुई और उस की मौत 4:30 के बाद हुई। विश्वस्त सूचनाओं के अनुसार इस दौरान उसे किसी भी प्रकार मेडीकल मदद नहीं मुहैय्या हो सकी। उस की मृत्यु के बाद जो दो डाक्टर और असिस्टैन्ट वहां पहुंचे तो उसके दिल की पंपिंग और एलेक्ट्रिक शाक इत्यादी दे कर खाना पूर्ती की कार्यवाही की। इस इतने अहम अंर्तराष्ट्रीय प्रकरण में एशियन हस्पताल मैनेजमैन्ट की बहुत सारी कार्यवाइयां जांच के घेरे में आती है।

1. ऐनीबेली को जिस कमरे में ठहराया गया का किराया लगभग 75000६. रु है जिस की कोई नियमित रसीद या बिल जारी नहीं किया गया।

2. ऐनीबेली को हस्पताल से एक रेगुलर बिल देने के बजाए 12 ओ पी डी के बिल दिए गए जो लगभग 61500/- रु के थे। इन बिलों को देखकर लगता है जैसे ऐनीबेली हस्पताल का पैशेन्ट न हो कर रोज़ आने वाला कोई मामूली रोगी था जब कि ऐनीबेली ने विदेश से आ कर लगातार 75 दिन तक ऐशियन हस्पताल में इलाज करवाया।

3. ऐनीबेली को जो दवाइयों का बिल दिया वह भी किसी एस.एस. लाईफ़केयर प्रा. लि. द्वारा जारी की गई 21 कमप्यूटर स्लिप्स हैं जो लगभग 11000 रु की है।

एशियन द्वारा वसूली के लिए क्लेम किए गए बिल लगभग 1.5 लाख रु है जिस में 75000 रु केवल गैस्ट हाऊस का किराया है।

प्रश्न तो यह है कि किसी देश का प्रतिभावान व्यक्तित्व अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्षमता पर अविश्वास जता कर भारत में इलाज के लिए आया और यहां की विशुद्ध व्यक्सायिक हस्पतालों ने उस विश्वास को ठोकर मार कर एक सुपर स्टार के जीवन का अंत कर दिया।

कौन-कौन है इस राष्ट्रीय शर्म के जिम्मेदार। उनके खिलाफ़ जांच कर के भविष्य में ऐसी घृणित साज़िशों की पुर्नावृति पर रोक लगाने की कोशिश की जाए।

आज दिनांक 15.12.2012 को प्रात: 4 बजे दिवंगत ऐनीबेली ऐलिबुआ के पार्थिव शरीर को उन के मित्रा ज्योति संग और डॉ. बलदेव वंशी ने नम आँखों से विदाई दी। इतिहाद एयरवेज़ का यह विमान महान ऐनीबेली के शरीर को उन की जन्म भूमि लागोस की दिशा में ले जाते वक्त हमारी नैतिकता, चरित्र और व्यवस्था पर कई प्रश्न छोड़ गया। ■

बिना स्टाफ़ के 18 डिसपेंसरियां खोलने की घोषणा

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत माह हरियाणा सरकार ने ई एस आई की 18 डिसपेंसरियां खोलने की घोषणा की थी। इसके लिये राज्य सरकार ने सेक्टर 16 स्थित ई एस आई निदेशालय को पत्र लिखकर उनके लिये भवनों का इन्तज़ाम करने को कहा है। निदेशालय ने पलट कर जवाब देते हुए लिखा है कि डिसपेंसरियों में तैनाती हेतु न तो डाक्टर हैं और न ही अन्य स्टाफ़ तो भवनों का क्या करोगे ?

विदित है कि हरियाणा में 12 लाख ई एस आई कार्डधारकों के लिये 600 डाक्टर डिसपेंसरियों के लिये तथा 500 डाक्टर अस्पतालों के लिये चाहिये यानी कुल मिला कर 1100 डाक्टर की जरूरत है। इसके विपरीत राज्य की तमाम ई एस आई सेवा में कुल 180 डाक्टर हैं। जिस अस्पताल में 130 डाक्टर होने चाहियें वहां केवल 18 डाक्टर ही तैनात हैं, जिन डिसपेंसरियों में 5 डाक्टर होने चाहियें वहां मात्र एक या दो ही तैनात हैं। हरियाणा सरकार के घोषणा मन्त्री द्वारा जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिये 18 डिसपेंसरियां तुरंत खोलने की घोषणा तो कर दी पर इनमें तैनात करने के लिये जरूरी 80 डाक्टर कहां से आयेंगे, इसका कोई जवाब इस सरकार के पास नहीं है। सुधी पाठकों के लिये यह जानना भी जरूरी है कि एक डाक्टर के साथ कम से कम 5 अन्य कर्मचारी भी दरकार होते हैं, यानी कि राज्य में 1100 डाक्टरों के साथ नर्स, कम्पाउंडर, कलर्क, तकनीशियन, सफ़ाईकर्मी आदि के रूप में 5500 अन्य स्टफ़ भी चाहिये, जो कि नदारद है। इन सब से काम लेने के लिये आधुनिक उपकरण व मशीनों आदि की भी आवश्यकता होती। इसके नाम पर यहां केवल 50 वर्ष पुरानी एक्स रे मशीन रखी हुई है। इन बद्तर हालातों में हरियाणा सरकार की 18 डिसपेंसरियों को तुरन्त खोलने की खोखली घोषणा पर चुटकी लेते हुए ई एस आई निदेशालय ने सरकार को ठीक ही लिखा है कि पहले इन डिसपेंसरियों के लिये स्टाफ़ की तैनाती तो कर लो, वरना उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई इमारतो में गधे और कुत्ते ही लोट मारेंगे। सारे मामले में सबसे गंभीर व गौरतलब बात यह है कि 1100 डाक्टरों व 5500 अन्य स्टाफ़ तथा उपकरणों व तमाम दवाओं आदि के कुल खर्च का 88 प्रतिशत भाग ई एस आई कार्पोरेशन हरियाणा सरकार को देती परन्तु राज्य सरकार अपना 12 प्रतिशत बचाने के चक्कर में 88 प्रतिशत को छोड़ रही है, जिसके चलते राज्य के 6600 रोज़गार तो कम हो ही रहे हैं, राज्य की जनता स्वास्थ्य सेवाओं से भी वंचित है। इसे सरकार की नालायकी नहीं तो और क्या कहेंगे ? इसी सरकार ने करीब 6 माह पूर्व ई एस आई के लिये 70 डाक्टरों की रिक्तियां विज्ञापित करके इस माह 59 डाक्टरों को भर्ती किया है। सवाल उठता है कि केवल 70 रिक्तियां ही क्यों विज्ञापित की गयीं ? जितनी आवश्यक्ता है उतनी क्यों नहीं की गयीं ? डाक्टरों के साथ काम करने वाला अन्य स्टाफ़ कब और कहां से आयेगा, इस पर तो सरकार ने शायद सोचा ही नहीं।